आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

12-12-2013

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

आदेश

वाद संख्या–सी0आर0एम0–03 / 13–14

उमेश प्रसाद जायसवाल

बनाम

बिहार सरकार

यह अपील श्री उमेश प्रसाद जासवाल द्वारा अनुमंडल ज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के उस आदेश दिनांक 06.04.2013 के विरूद्ध दायर किया गया है जिसके द्वारा अपीलकर्ता के जनवितरण प्रणाली दुकानदार की अनुज्ञप्ति संख्या–01 / 2009 को तत्कालीक प्रभाव से रदद् कर दिया गया है। अपील आवेदन प्राप्ति के पश्चात निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी जो प्राप्त हुआ है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख संख्या–03 / 2013 श्री उमेश प्रसाद जायसवाल के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा दिनांक 26.02.2013 को वितरण दिवस के अवसर पर अपीलकर्ता की दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में विक्रेता की दुकान बंद पायी गयी। लेकिन विक्रेता दुकान पर उपस्थित पाये गये। दुकान बंद रखने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता से पुछा गया तो वे बतलाये कि राज्य खाद्य निगम गोदाम बगहा से खाद्यान्न उठाव हेतु गये थे जिसके कारण उक्त वितरण दिवस के अवसर पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण नही किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी बगहा द्वारा विक्रेता के दुकान से सम्बद्ध उपभोक्ताओं से खाद्यान्न उठाव से संबंधित जिसमें वी0पी0एल0 उपभोक्ता भी थें। वी0पी0एल0 उपभोक्ताओं द्वारा लाभ दिया गया कि विक्रेता द्वारा 09कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 13 कि0ग्रा0 चावल 150.00रूपयें लेकर आपूर्ति की जाती है तथा 2.50लि0 किरासन तेल 48.00रूपयें लेकर दिया जाता है।

अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उन्होने स्पष्टीकरण दिया कि पॉच माह पूर्व उक्त दर से

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	उपभोक्ताओं को खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति की जाती थी परंतु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा डी0एम0 एकेडमी बगहा–1 में बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में उचित दर एवं सही वजन पर ही बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय उपभोक्ताओं को खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति की जाती है। आदेश में भी लिखा गया है कि मुखिया एवं संरपच के समक्ष उपभोक्ताओं द्वारा बयान दिया गया है कि विक्रेता द्वारा सही मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विक्रेता के स्पष्टीकरण को मनगडत एवं बेबुनियाद बतलाते हुए लिखा गया है कि विक्रेता द्वारा दलित एवं पिछडी जाति के परिवार को निर्धारित मात्रा से 3कि0ग्रा0 कम खाद्यान्न एवं 250ग्राम किरासन तेल की कम आपूर्ति कर उन्हें शोषण किया जाता है। उक्त अनियमितता को पाकर अनुमंडल पदाधिकारी बगहा द्वारा विक्रेता के अनुज्ञप्ति सं0–01/2009 को रद् कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा निम्नांकित तथ्यों को दर्शाते हुए अपील दायर किया गया है :– 1. जिन उपभोक्ताओं द्वारा कम खाद्यान्न एवं किरासन तेल आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया है उन लोगो ने स्थानीय मुखिया एवं सरपंच के समक्ष कम खाद्यान्न एवं किरासन तेल के कम वितरण करने के आरोप से इंकार किया गया है। 2. अनुमंडल ज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा बिना जांच किये एवं अभीकर्ता को साक्ष्य दाखिल करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये बिना ही उनके अनुज्ञप्ति को रद् कर दिया गया है। 3. अपीलकर्ता का कहना है कि वे निर्धारित मात्रा में उचित मूल्य लेकर खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति करते है। 4. अपीलकर्ता द्वारा श्री गर्जन मुशहर, सुभाष मुशहर, योगेन्द्र मुशहर, उमेश मुशहर, झापस मुशहर एवं वंशी मुशहर सभी साकिन–मझौआ थाना–चौतरवा द्वारा दिये गये शपथ पत्र की छाया प्रति दाखिल की गयी है। दोनों पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं शपथकर्ताओं द्वारा दिए गए शपथ का अवलोकन किया गया। अपीलकर्ता द्वारा स्वीकारोत्मक ब्यान दिया गया है	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	कि वर्तमान में उनके द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि पॉच माह पूर्व उक्त दर से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति की जाती थी, परंतु अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा द्वारा डी0एम0 एकेडमी (उच्च विद्यालय) बगहा–1 में बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में उचित दर एवं सही वजन पर ही वी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय उपभोक्ताओं को खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति की जाती है। अतः अपील आवेदन सशर्त चेतावनी के साथ स्वीकार किया जाता है कि भविष्य में भी उनके द्वारा दर एवं तौल के संबंध में कोई अनियमितता नहीं की जायेगी। उपरोक्त चेतावनी को अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति में इन्द्राज भी किया जाए एवं भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता पुनः पायी जाती है तो उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी। उपरोक्त विवेचित तत्वों के आलोक में अनुमण्डल ज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, बगहा द्वारा दिनांक 06.04.2013 को पारित आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति संख्या 01/2009 को पुनर्जिवित किया जाता है। जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	